सर्वोच्च प्राथमिकता

परिपत्र संख्याः डीजी– 16 /2018

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1–तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकः लखनऊः अप्रैल 21 ,2018

विषयः 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ घटित दुष्कर्म/दुष्कर्म एवं हत्या की घटनाओं की विवेचना एवं वादों की पैरवी के सम्बन्ध में ।

प्रिय महोदय,

महिलाओं के विरूद्ध विशेषकर 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ घटित अपराध अत्यन्त ही गंभीर प्रकरण है, जो समाज एवं न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। इस प्रकार की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु पुलिस के द्वारा त्वरित प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों पर नियंत्रण वैज्ञानिक तथ्यपरक विवेचना एवं शीघ्र अभियोजन के संबंध में मार्गदर्शन हेतु समय–समय पर मुख्यालय स्तर से पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत किये गये है। उनको समेकित करते हुए निम्न निर्देश निर्गत किये जा रहें हैं–

डीजी–सात–एस–3(23)2012 दि0 13.1.13
डीजी–03/13 दि0 17.01.13
डीजी परि0 सं0–16/2013 दि0 29.04.13
अ0शा0परि0 सं0–19/2013 दि0 06.05.13
परि0 सं0–डीजी–62/2013 दि0 14.11.13
डीजी परि0 सं0–45/2015 दि0 15.06.15
डीजी–परिपत्र–62/2015 दि0 27.08.15
डीजी परि0 सं0–68/2015 दि0 07.10.15
डीजी परि0 सं0–20/2016 दि0 13.04.16
डीजी परि0 सं0–49/2016 दि0 12.08.16

1. 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के साथ घटित दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण एवं छेड़खानी जैसी घटनाओं के संबंध में भा0द0वि0 की सम्बन्धित धाराओं के साथ–साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO) व क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट 2013 के अन्तर्गत समुचित प्रावधानों में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करके त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
2. गुणवत्तापूर्ण विवेचना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है कि अविलम्ब घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए उक्त स्थल की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करायें तथा फील्ड यूनिट की सहायता से समस्त वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किये जायें। यदि कोई आडियो/वीडियों साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो आई0टी0 एक्ट 2000 के प्राविधानों के अनुरूप साक्ष्य संकलित किये जायें ताकि माननीय न्यायालय में उन साक्ष्यों की शुचिता (Sanctity) बनी रहे।

3. दुष्कर्म पीड़िता का तत्काल चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाये तथा चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजे जाने वाली रिपोर्ट में उक्त घटना को इंगित करते हुये अन्य जांचों के अतिरिक्त डीएनए प्रोफाइलिंग का भी अनुरोध अवश्य किया जाये।

4. पीड़िता का बयान 164 द0प्र0सं0 के प्रावधानों के अनुसार अवश्य एवं अविलम्ब कराया जाये। 161 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा यथासम्भव उसके परिवार के सदस्यों के समक्ष अंकित किया जाये। पीड़िता की मर्यादा एवं उसकी गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाये तथा उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाये।

5. बलात्कार की घटनाओं में अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरान्त द0प्र0सं0 की धारा–53ए के अनुसार उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाये।

6. ऐसे मामलों में यथासम्भव अधिकतम वैज्ञानिक साक्ष्य का संकलन कर 01 माह के अन्दर शीघ्रातिशीघ्र विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के मध्य पीड़िता का बयान लेते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि पीड़िता और अभियुक्त किसी समय पर किसी भी प्रकार के सम्पर्क में न आये।

7. अभियोग के शीघ्र परीक्षण सुनिश्चित कराये जाने से गवाहों के पक्षद्रोही होने एवं अभियोग के विमुक्ति की सम्भावना कम होती है अतः आवश्यक है कि वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधिकारी मा0 जनपद न्यायधीश से समन्वय स्थापित कर इस प्रकार के मुकदमों की धारा 309 द0प्र0स0 के अनुरूप दिन–प्रतिदिन सुनवाई सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध करें ताकि शीघ्रता से अभियोग का निरस्तारण कराया जा सके। इस सम्बन्ध में जनपदीय संयुक्त निदेशक, अभियोजन एवं जिला शासकीय अधिवक्ता का भी यथोचित सहयोग नियमित रूप से लिया जाये।

8. ऐसे सभी प्रकरणों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO) के अन्तर्गत विशेष रूप से गठित/पदाभिहित मा0 न्यायालयों में सूचीबद्व कराया जाये। विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिये जाने के 30 दिन के भीतर पीड़िता का साक्ष्य अभिलिखित कराना सुनिश्चित किया जाये।

9. मा0 न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी को उत्तरदायी बनाते हुये इसकी नियमित मॉनिटरिंग आप स्वयं करें तथा लोक अभियोजकों को भी मासिक अपराध गोष्ठी में सम्मिलित करते हुये उन्हे इन प्रकरणों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने हेतु प्रेरित करें।

10. ऐसे सभी प्रकरणों में पीड़िता एवं उसके परिवार को दी जाने वाली राजकीय सहायता के लिये समस्त आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित की जाये।

11. विवेचक का यह दायित्व होगा कि इन अपराधों की विवेचना बिना विलम्ब के निस्तारित करे ताकि अभियुक्तगण धारा 167(2) द0प्र0सं0 का लाभ प्राप्त कर जमानत न प्राप्त कर सके।

12. जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी द्वारा घटना स्थल का तत्काल निरीक्षण करते हुए समुचित दिशा–निर्देश विवेचक को दिया जाये।

13. पुलिस कार्यवाही से जनता में विश्वास एवं सुरक्षा की भावना पैदा किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों के संबंध में समय–समय पर मुख्यालय स्तर से सदर्भित परिपत्रों में निर्गत दिशा निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जनपदीय अपराध गोष्ठी में विशेष रूप से इसकी समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जाये। पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को इस दिशा में पर्याप्त संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षण एवं इस विषय पर कार्य करने वाले प्रतिष्ठित एनजीओ के साथ कार्यशाला करायी जाये।

भवदीय,

21/5/18

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।